

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर रेलवे) मुरादाबाद।
पीठासीन अधिकारी सर्वेश कुमार मिश्र (उ 0 प्र 0 न्यायिक सेवा 2073)

दिनांक: 22.05.2026

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त को धारा-145/147 रेल अधिनियम के अंतर्गत 500/-रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त 05 दिन का साधारण कारावास भोगेगा।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।

JO CODE UP2073